न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 117/18

GCMS NO 2018/00085

1. मेघराम
2. श्रीमन
3. भरतलाल पिसरान बिसल्ली जातियान मीना निवासीयान सेगरपुरा तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. रामप्रसाद पुत्र बिसल्ली जाति मीना निवासी सेगरपुरा तहसील व जिला करौली
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार करौली

रेस्पो०

(अपील विरूद्ध मु०नं० 60/17 निर्णय दिनांक 22.12.17 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली)

अभिभाषक अपीला० श्री रामजीलाल अग्रवाल

अभिभाषक रैस्पो० श्री राजू सिह गुर्जर

दिनांक 23.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 22.12.17 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो० द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम सेगरपुरा के ख०न० 563,564,565,691,692,693 कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 13 विस्वा स्थित है जो सायल व गैरसायल न० 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। पक्षकारान के पिता बिसल्ली का स्वर्गवास करीब 10–11 वर्ष पूर्व हो चुका है। तभी से पक्षकारान उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। गैरसायल न० 1 बिसल्ली की दुसरी पत्नि का पुत्र के मन मे बदनियती आ जाने से विवादित जमीन पर बंटवारा करने की गुरेज कर रहे है। जबकि भूमि खुन्नी के समय की है। जिसमे प्रत्येक सायल एवं गैरसायलान का 1/4, 1/4 हिस्सा है। गैरसायल आये दिन थाने मे झूठी रिपोर्ट दर्ज करा देते है। सायल द्वारा भूमि का बंटवारा करने के लिए कहा तो उसके द्वारा बंटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया गया। विवादित भूमि को दीगर व्यक्तितो को रहन बेचान करने पर आमादा है। राजस्व कर्मचारियो से मिलकर विवादित जमीन का नामा० अपने नाम खुलवाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए विवादित आराजीयात के बाबत गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह सायलान के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्य[illegible] तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी से करावे। मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखा जावे इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/सायल द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सायल/अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/सायल द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व तथ्यो का भली भॉति अवलोकन किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। विवादित भूमि ग्राम सेगरपुरा मे स्थित है जो जागीरदारो के समय की है और अपीलांट का पिता सेटलमेंट काश्तकार था और उसके कब्जे के आधार पर प्रार्थीगण के पिता को खातेदाी मे मिली थी। जो आज तक बिसल्ली के नाम खातेदारी व कब्जे काश्त के आधार पर प्रार्थीगण के पिता को खातेदारी मे मिली थी। जो आज भी बिसल्ली के नाम खातेदारी मे दर्ज चली आ रही है। रेस्पो0 बिसल्ली की व्याहयाता औरत से पैदाईश नही है इसलिए इसका विवादित जमीन से कोई हक व हिस्सा नही है। उसके बाबजूद 1/4 हिस्सा भी अपीलाट व रेस्पो0 गेरसायल को देने को तैयार है। विवादित भूमि संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है। विभाजन से पूर्व जमीन के बाबत यह नही कहा जा सकता कि कौनसा हिस्सा अपींलांट व रेस्पो0 के हिस्से मे रहेगा। इसके बाबजूद गैरसायल रेस्पो0 विवादित जमीन को वगैर बंटवारा कराये दीगर व्यक्तियो को विकय करने पर आमादा है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गैरसायल को जबाब देही हेतु काफी समय दिया गया यहॉ तक की दिनांक 7.11.17 को जबाब प्रार्थना पत्र बंद कर दिया गया। रेस्पो0 द्वारा भूमि का बंटवारा करने से साफ इंकार कर दिया तथा विवादित आराजीयात से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। इस प्रकार अपीलांट के अधिकारो का हनन होने की संभावना होने से ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नही किया गया। बिसल्ली के स्वर्गवास के बाबत मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नही करने के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट निरस्त योग्य मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि के विपरीत खारिज किया गया है। जो कानूनी भूल है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पो0 को पाबन्द किया जावे ।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिस पर सायल एवं गैर सायलान मौके पर 1/4, 1/4 भाग पर काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात के बंटवारे बाबत रेस्पो0 का कभी नही कहा गया है ना ही रेस्पो0 उक्त भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा है। उक्त भूमि बिसल्ली के मृत्यु के पश्चात उभयपक्ष की खातेदारी मे दर्ज हो चुकी है। जिसका नामा0भी हो चुका है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 का खाता संख्या 450 मे उक्त आराजीयात कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा की खातेदारी बिसल्ली [illegible] के नाम दर्ज रिकार्ड है। किसी सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना [illegible] नही है। इस प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Palot
Date: 2025.03.27 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर ....

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही सायल/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2071 से 2074 का खाता संख्या 450 मे उक्त आराजीयात कुल किता 6 कुल रकबा 4 बीघा 13 विस्वा की खातेदारी विसल्ली पुत्र खुन्नी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसके अपीलांट एवं रेस्पो0 सहखातेदार होने से अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा सह खातेदार रेस्पो0 को पाबन्द कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर भूमि को बेचान नही करने की प्रार्थना की गई थी। चूकिः बिसल्ली मृत्यु हो चुकी है जिसकी पुष्टि सरपंच ग्राम पंचायत सेगरपुरा के प्रमाण पत्र से होती है साथ ही रेस्पो0 को सजरा अनुसार बिसल्ली का पुत्र माना गया है। इस प्रकार अपीलांट एवं रेस्पो0 के सहखातेदार होने से किसी सहखातेदार को विधि अनुसार पाबन्द नही किये जाने से ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। चूकिः भूमि का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। बंटवारे के पश्चात ही भूमि का कौन सा हिस्सा किस खातेदार को प्राप्त होगा। इसका निर्धारिण बंटवारे के दावे के पश्चात ही किया जावेगा। इस प्रकार बंटवारे के दावे तक भूमि की यथास्थिति कायम रखने हेतु उभयपक्ष को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 60/17 मे पारित निर्णय दिनांक 22.12.17 को निरस्त किया जाता है। उभयपक्ष को दावे के निस्तारण तक विवादित आराजीयात के रहन बेचान करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:18:05 IST
Reason: SelfAttested